छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय बीजापुर

कार्यालय कलेक्ट्रेटपरिसर, प्रथमतल, मेनरोडबीजापुर (छ.ग.) पिन 494444

फोननंबर : 07853–220177, 220178, ई–मेल : nanbijapur@gmail.com, dm_nanbijapur@yahoo.in

---

पत्र क्र./सावित्र/अनु.स्कंध नीलामी/2016/ बीजापुर, दिनांक : **19/10/2016**

प्रति,

प्रबंधक (सावित्र)
छ.ग. स्टेट सिविल सप्पलाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय रायपुर

विषय :– पुराना स्वीपेज अखाद्य सामग्रियों का विकेन्द्रीकृत निविदा से विक्रय के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क्र./सावित्र/अनु.स्कंध नीलामी/2016–17/549, दिनांक 18.10.2016 एवं पत्र क्र./535 दिनांक 06.10.2016।

—00—

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इस जिले में उपलब्ध अनुपयोगी स्कंध/अखाद्य सामग्रियों का कलेक्टर महोदय के द्वारा निविदा के माध्यम से निराकरण करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से प्राप्त दरों का परीक्षण कर स्वीकृति के अभिमत के साथ मुख्यालय प्रेषित करने का निर्देशित दिया गया है।

तत्संबंध में इस जिले में उपलब्ध अनुपयोगी स्कंध/अखाद्य सामग्रियों का निविदा के माध्यम से निराकरण कराये जाने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा अपर कलेक्टर को अधिकृत किया जाकर उनके द्वारा आगामी **दिनांक 09.11.2016** को **दोपहर 03:00** बजे निविदा की तिथि नियत की गई है। (अवलोकनार्थ हेतु निविदा तिथि की नोटशीट की छायाप्रति संलग्न है।)

सादर सूचनार्थ।

जिला प्रबंधक
बीजापुर

पृ. क्र./सावित्र/अनु.स्कंध नीलामी/2016/400A बीजापुर, दिनांक : **19/10/2016**

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय बीजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर महोदय बीजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खाद्य अधिकारी बीजापुर की ओर सूचनार्थ। कृपया नियत तिथि को जिला कार्यालय बीजापुर में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।
4. नोडल अधिकारी (आई.टी.), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी (एस.डब्ल्यु.सी), भण्डार गृह निगम बीजापुर की ओर सूचनार्थ। कृपया नियत तिथि को जिला कार्यालय बीजापुर में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।
6. जिला सूचना अधिकारी बीजापुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जिला के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे

जिला प्रबंधक
बीजापुर

D:\PDS 2016-17\Tender Letter.docx

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड बीजापुर

निविदा सूचना

निविदा प्रारंभ की तिथि — दिनांक 19.10.2016 से
निविदा जमा करने अंतिम तिथि — दिनांक 09.11.2016 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि — दिनांक 09.11.2016 समय दोपहर 03:00 बजे

स्थान – छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय कलेक्टर परिसर प्रथम तल मेन रोड बीजापुर

प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अनुपयोगी स्कंध का विवरण निम्नानुसार है :–

(मात्रा क्विंटल में एवं बारदाना नग में)

क्र.	केन्द्र का नाम	स्वीपेज शक्कर	एमएल नमक	छ.ग. नमक	अमृत नमक	अनु. बारदाना
1	बीजापुर	–	–	1.29	7.06	–
2	भैरमगढ़	2.45	1.26	1.50	7.28	–
3	भोपालपट्नम	0.41	–	–	148.62	103 नग
4	उसूर(आवापल्ली)	–	–	–	79.26	–
	कुल	2.86	1.26	2.79	242.22	103 नग

जिला प्रबंधक
बीजापुर

अनुपयोगी स्कंध/सामग्रियों के निविदा हेतु शर्तें

1. स्कंध सामग्री का विक्रय **"जहाँ है जैसा है"** के आधार पर किया जाना है। संग्रहित मात्रा कम–ज्यादा हो सकती है।
2. दरें भरने के पूर्व इच्छुक क्रेता जिला प्रबंधकों से सम्पर्क कर जिला/केन्द्रों पर संग्रहित स्कंध/सामग्रियों का निरीक्षण कर संतुष्ट होने पर निविदा भरें।
3. इच्छुक निविदाकार बंद लिफाफे में लेटरहेड पर पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो के साथ दर प्रति क्विंटल तथा खाली बारदाना हेतु प्रति नग दरें प्रस्तुत करें। निविदाकार अनुपयोगी गीली शक्कर एवं नमक की दरों के साथ पैन नम्बर एवं बैंक खाता क्रमांक तथा पैन कार्ड की फोटो प्रति भी अनिवार्यः लगावे।
4. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी स्वीपेज शक्कर (गीली) हेतु 200 रू. प्रति क्विंटल, (गेहूँ, चना, पीली मटर दाल) हेतु 50 रू. प्रति क्विंटल, (राजसात अमृत नमक, स्वीपेज अमृत नमक, छत्तीसगढ नमक, महतारी लईका नमक एवं महामाया नमक) हेतु 25 रू. प्रति क्विंटल एवं खाली बारदाना हेतु 1 रू. प्रति नग की दर से अमानत राशि जमा करना होगा। अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीकृत/शेडूल बैंक का डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. जिला कार्यालय के नाम से देय होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर H/1 को छोड़कर अन्य निविदाकारों की अमानत राशि जिला कार्यालय द्वारा वापस कर दी जावेगी।
6. दरें स्वीकृत होने पर खाद्यान्नों/सामग्री के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी.एस. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा कर 15 दिनों के भीतर अखाद्य सामाग्रियों का उठाव करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उठाव नहीं करने पर नियमानुसार निर्धारित भण्डारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय–सीमा मुख्यालय द्वारा बढ़ाई जायेगी। इसके बाद भी डिलीवरी नहीं लेने पर निविदाकार को सामग्री प्रदाय नहीं कर जमा की गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. भण्डारित स्कंध/सामग्री की डिलीवरी एक साथ एक तरफ से दिया जायेगा। स्कंध/सामग्री छांट कर प्रदाय नहीं किया जायेगा। डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता होने पर, क्रेता को बारदाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर भण्डारित सामग्री के मूल्य की सम्पूर्ण राशि जिला कार्यालय में जमा कर अनुबंध जिला कार्यालय में किया जायेगा।
9. निगम से स्कंध उठाव के पूर्व क्रय स्कंध को मानव के खाने के लिए उपयोग/विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा।
10. निविदा की मात्रा का उठाव करने में होने वाले समस्त व्ययों को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य कर स्वयं क्रेता को देना अनिवार्य होगा।
12. अपवाद स्वरूप सामग्री के उठाव करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण के लिए प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक व इनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्रेता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिए न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी निविदा/दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

महाप्रबंधक (पी.डी.एस.)